झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 19 राँची, बुधवार 17 जून, 2026 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 565-568

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2026

संख्या-06/न्याय-09-65/2024-2461—माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद W.P.(S) No-6586/2022 एवं Cont. (C) 142/2026 वीरेन्द्र कुमार प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेश एवं विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा दिनांक 15.04.2026 को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद (से०नि०- 30.11.2016), तत्कालीन अपर लोक अभियोजक, जमशेदपुर को इनसे कनीयपदधारक को प्रोन्नति दिए जाने की तिथि 30.04.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से लोक अभियोजक (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रू०-15600-39100/-, ग्रेड पे०-रू०-7600) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति (Notional Promotion) दी जाती है।

2. इस संदर्भ में विभागीय आदेश 1742 दिनांक 17.03.2026 को निरस्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

26 मई, 2026

संख्या-13/डी1-102/2025-2272--सी0, गृहमंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21016/24/2026-IPS.III, दिनांक-18.05.2026 के आलोक में **श्री सुरेन्द्र कुमार झा, भा०पु०से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत पुलिस उप-महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षाबल (BSF)** के पद पर योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

8 May, 2026

Memo No.-10/C.B.I.-415/2026-2776--In exercise of powers under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the State Government of Jharkhand is pleased to extend the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Jharkhand for investigation against Shri Nirbhay Kumar Mishra, the then Sr. DGM, Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL), Ranchi, Shri Randhir Prabhakar, the then Sr. Manager, RVNL, Ranchi; Shri Inderjeet Kumar of M/s. Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL); Shri Mukesh Pandey of M/s AM Infratech; Shri Sudhir Kumar Shukla of M/s AM Infratech; Shri Dhiraj Prabhakar and other unknown persons for the offences punishable u/s 120 B of IPC r/w Sec. 7, 8, 9, 10 & 12 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended 2018) & substantive offences thereof and any other offence that may surface during the course of investigation of the aforementioned case including but not limited to any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,
Under Secretary to Government.

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

8 May, 2026

Memo No.-10/C.B.I.-414/2026-2775--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole state of Jharkhand upon request made via letter number 229/CO-7/2026, dated 24.04.2026 of Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against public servant of Bank of India, Giridih for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,
Under Secretary to Government.

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 मई, 2026

सं०सं०- 02/नि0सं0-12-79/2020 का. 3135--श्री अनिल रविदास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 95/25), अंचल अधिकारी, रमकंडा, गढ़वा के दिनांक 02.01.2026 से 16.03.2026 तक (कुल 74 दिन) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

1 जून, 2026

सं०सं०-4/नि0सं0-12-55/2015 का. 3560--श्रीमती यस्मिता सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 349/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला का दिनांक 24.10.2025 से दिनांक 15.01.2026 तक (कुल 84 दिन) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 19--50 ।